

15/11/19. - वकील वारी उपस्थित। जिलाधीकर
के सामने तारीख 10/11/19 का प्रमाण
नहीं है। वारी वारी करवली
दिनांक 12/11/19 को प्रेषण है।
[Signature]

श्री. श्री. श्री. - पचावली का प्रमाण है। वकील
वारी उपस्थित। वकील वारी जिलाधीकर
के सामने करवली प्रेषण करने हेतु एक
कोई करवली चाहते हैं। वकील वारी
द्वारा जिलाधीकर की तारीख 12/11/19
के अधिनियम का सम्बन्धित होकर
के उपरान्त भी पूर्ण नहीं कराई
है। तब उपरान्त करवली प्रेषण
करके 9 दिनों 5 घंटे के अन्दर
स्वीकृत किया जाता है। पचावली
गिरीश कुमार दीकर डी.डी. नं. 10/11/19
है।

[Signature]
सहायक कलेक्टर
(SDO) सिवाना

